Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 58–2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 31, 2022 (CHAITRA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2022

संख्या 12/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप–धारा (1) और धारा 16 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे माल की अंतःराज्यीय प्रदाय को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्तसारणी के खाना (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के खाना (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में, विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जो उक्त सारणी के खाना (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशि से अधिक है:

सारणी

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श या छत की टाइलें	3%	1

व्याख्या–

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के खण्ड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी शामिल है, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपबन्ध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) इन मालों के प्रदाय में अनन्य रुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) ऐसी माल के प्रदाय के लिए प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य प्रदायो को भागत: प्रभावित करने के लिए, उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल के प्रदाय छूट प्राप्त प्रदाय है और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उप–धारा (2) और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंध लागु होते हो।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2022

No. 12/GST-2.— In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

Table

Serial Number	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

***Explanation*. –**

(i) For the purposes of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(Central Act 51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition Number	Condition
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9546—C.S.—H.G.P. Pkl.